

15.4.20

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 15.5.20 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

कोरोना लांकाडाउन

15.5.20

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 24.6.20 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

24.6.20

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 24.7.20 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

कोरोना/नेशनल

24.7.20

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 2.9.20 को प्रस्तुत करें।

Net Pressed 2. 21.10.20 :-

वहील वादी उपर। वहील वादी ने जाहिर किया कि वादी वादपत्र को छोड़े नहीं चलना चाहते हैं। अतः वादपत्र जरिमे नोटपेन जारीज किया जाये। वहील वादी का निवेदन स्वीकार किया जाता है। वाद वादीगत जरिमे "नोट-पेन" जारीज किया जाये। पञावली अपने नम्बर ले कम होकर दाखिल रफ्तार हो।

Handwritten signature and official stamp of the court.